

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

वित्त विभाग से
परामर्शित

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक- 23-07-18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार से विमुक्त NHM अन्तर्गत Health Strengthening under NRHM एवं RCH Flexible Pool मद में प्राप्त 60:40 के अनुपात में अनुमानित केन्द्रांश मद में रुपये 100.38 करोड़ (एक अरब अड़तीस लाख रुपये) एवं समानुपातिक राज्यांश मद में रुपये 66.92 करोड़ (छियासठ करोड़ बानवे लाख रुपये) अर्थात् कुल रुपये 167.30 करोड़ (एक अरब सड़सठ करोड़ तीस लाख) सहायक अनुदान राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित्त स्वीकृति ।

आदेश: स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार से विमुक्त NHM अन्तर्गत Health Strengthening under NRHM एवं RCH Flexible Pool मद में प्राप्त 60:40 के अनुपात में अनुमानित केन्द्रांश मद में रुपये 100.38 करोड़ (एक अरब अड़तीस लाख रुपये) एवं समानुपातिक राज्यांश मद में रुपये 66.92 करोड़ (छियासठ करोड़ बानवे लाख रुपये) अर्थात् कुल रुपये 167.30 करोड़ (एक अरब सड़सठ करोड़ तीस लाख) सहायक अनुदान के रूप में राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराया जाना है ।

2. राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्रांक-2457, दिनांक-09.07.2018 के द्वारा उपलब्ध कराये गये NHM अंतर्गत Health Strengthening under NRHM एवं RCH Flexible Pool में विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु अनुमोदित बजट के अनुरूप केन्द्रांश मद में रुपये 100.38 करोड़ (एक अरब अड़तीस लाख रुपये) एवं समानुपातिक राज्यांश मद में रुपये 66.92 करोड़ (छियासठ करोड़ बानवे लाख रुपये) अर्थात् कुल रुपये 167.30 करोड़ (एक अरब सड़सठ करोड़ तीस लाख) विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से विभिन्न आवंटनादेशों द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी निम्नवत है :-

Details of fund received from Govt. of India				
S.N	Letter no & date	Amount (Central Shares) 60%	State Shares 40%	Total
RCH Flexible pool				
1	G27034/4/2018-NHM-F-1, 13-03-18	108900000	72600000	181500000
2	G27034/4/2018-NHM-F-1, 21-03-18	700000	466667	1166667
3	G27034/4/2018-NHM-F-3, 21-03-18	7400000	4933333	12333333
4	G27034/4/2018-NHM-F-2, 21-03-18	2500000	1666667	4166667
5	G27034/4/2018-NHM-F-1, 23-03-18	51300000	36200000	90500000
6	G27017/38/2017-NHM-F, 31-03-18	665200000	443466667	1108666667
	Total (A)	1390000000	559333333	1398333333
Health System Strengthening under NRHM				
1	G.27017-18-2017-NHM-F/5,30-03-18	64800000	109866667	274666667
	Total (B)	64800000	109866667	274666667
	Total (A+B)	1038000000	669200000	1673000000

3. केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018-19 में अधोलिखित उपशीर्षो अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा:-

(क) केन्द्रांश:-

(i) मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-110-अस्पताल तथा औषधालय-उप शीर्ष-0203-एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210031100203, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9156, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबंधित राशि रुपये 1,12,33,48,000/-में से कुल रुपये 1,00,38,00,000/-(एक अरब अड़तीस लाख रुपये) से विकलनीय होगा।

(ख) राज्यांश:-

(i) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, 110-अस्पताल तथा औषधालय, 0303-एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210031100303, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9156, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबंधित राशि रुपये 50,10,00,000/-में से कुल रुपये 50,10,00,000/-(पचास करोड़ दस लाख रुपये) एवं विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान- वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि रुपये 2,00,40,00,000/-में से रुपये 16,82,00,000/-(सोलह करोड़ बेरासी लाख रुपये) से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा और नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राशि की निकासी बी0टी0सी0 फॉर्म संख्या-46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पी0एल0 खाता-PLA-263 विपत्र कोड-K8448001200027 में सुलभ कराएंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार विहित प्रक्रिया के अनुसार राशि का व्यय करेंगे।

6. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त विभाग के परिपत्र सं0-8244, दिनांक-02.08.2010 की कंडिका-2(ख) के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध कराएंगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेंगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-341 के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

7. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 2419/वि0(2) दिनांक-05.04.2007, 8593/वि0(2) दिनांक-27.11.2007, 96/वि0(2) दिनांक-03.01.2008, 3923/वि0(2) दिनांक-09.04.2010 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8. प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।


9. प्रस्ताव एवं प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-10/यो0-1-01/2015 (पार्ट) के पृष्ठ-105/टि0 पर प्राप्त है।


10. राशि की निकासी विकास भवन, नया सचिवालय कोषागार, पटना से की जाएगी।

11. राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. एतदसंबंधी आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(राधेश्याम साह)
सरकार के अपर सचिव।


ज्ञापांक-10/यो0-1-01/2015 (पार्ट)-352(10)(10) /स्वा0, पटना, दिनांक- 23-07-18

प्रतिलिपि- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-अवर सचिव/प्रधान लेखा पदाधिकारी(compilation section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रूम नं0-331-सी., निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि-उप निदेशक(ए0जे0एस0)/प्रधान लेखा पदाधिकारी(compilation section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, रूम नं0-523-सी.विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि-उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, VBD Section, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-10 एवं प्रशाखा-10 के सभी सहायक/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

Hobnar